20रु. बीस रुपये भारत COURT
5 रु. भारत पाँच रुपए
5 रु. भारत पाँच रुपये
Rs.5 COURT FEE INDIA FIVE RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क /16./ निगरानी

निग 1841 - पी.बी.आर./16

(35)

1 श्रीमती किरण गुप्ता पत्नी श्री देवेन्द्र गुप्ता

2 श्रीमती मीना गुप्ता पत्नी श्री हेमंत कुमार गुप्ता निवासी लक्ष्मीगंज लश्कर ग्वालियर म0प्र0

3 मयंक गुप्ता पुत्र श्री देवेन्द्र गुप्ता निवासीगण लक्ष्मीगंज रोड कोल डिपो लश्कर ग्वालियर ——**प्रार्थीगण**

बनाम

1 श्रीमती सोमा बाई पत्नी श्री रामकली सिंह निवासी ग्राम थाटीपुर तहसील व जिला ग्वालियर

2 मानसिंह पुत्र श्री काशीराम निवासी काला सैयद तारागंज लश्कर ग्वालियर

3 विनोद कुमार पुत्र श्री केदारनाथ गुप्ता निवासी खासगी बाजार लश्कर ग्वालियर

4 भारत सिंह पुत्र श्री शीलत सिंह निवासी माधौगंज लश्कर ग्वालियर

5 श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द्र निवासी लक्ष्मीगंज लश्कर ग्वालियर ——**प्रतिप्रार्थीगण**

क्रमशः 02

8.6.16

8-6-16

8-6-16

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण कमांक 4/12–13/अपील मे पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय ग्वालियर सिटी म0प्र0</u>

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणो की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

<u>निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः–</u>

यहकि रेस्पोडेन्ट कमांक 1 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर सिटी के समक्ष एक अपील परीक्षण न्यायालय की पंजी कमांक 27 पर आदेश पारित दिनांक 24.04.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी, उक्त अपील परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2007 के विरूद्ध दिनांक 31.07.2012 को प्रस्तुत की गई थी प्रकरण अपील में प्रार्थीगण जब उपस्थित हुये तो उनके द्वारा धारा 5 अवधि विधान अधिनियम का जबाब मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया था। और अपने जबाब में यह उल्लेख किया था कि प्रतिप्रार्थी कमांक 1 के द्वारा दिन प्रतिदिन का कोई विलंब का स्पीष्टीकरण नही दिया है, तथा आदेश दिनांक 24.04.2007 से लगभग 5 वर्ष उपरांत अपील प्रस्तुत की है टाईम वार्ड अपील प्रस्तुत की गई है एवं जबाब में यह भी उल्लेख किया गया था कि जो जानकारी का आधार खसरा हेतु आवेदन दिनांक 06.07.2012 को प्रति लेने पर जानकारी हुई गलत है क्योकि स्वयं प्रतिप्रार्थी कमांक 1 के द्वारा एक आवेदन नामांतण हेतु प्रकरण कमांक 69/09–10/अ–6 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 15.11.2010 को निरस्त किया गया है, और प्रतिप्रार्थी कमाक 1 के द्वारा जो धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया है उसमें उक्त तथ्य जानकारी को छुपाते हुये गलत जानकारी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत की गई थी, जानकारी का स्त्रोत बिल्कुल भ्रामक असत्य एवं

कमशः 03

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1841-पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	